

24.12.21

पत्रावली पेश हुई, न्यायिक कार्य स्थगित/परिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 22.12 को पेश हो।

उपरोक्त उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 26.3.21 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.1.21

उपरोक्त उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 30.4.21 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

26.2.21

30.4.21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/परिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 28.4 को पेश हो।

18.5.21

उपरोक्त उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 29.6.21 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.6.21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित/परिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30.6 को पेश हो।

25.10.21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के रोग अभियान 2021 केम्प भगवानपुरा में पेश हुई अप्राथमिक के लम्बन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.पठ किये गये पटवार हल्का भगवानपुरा द्वारा रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा.पठ किया गया। प्रकृति का मार्पना पत्र स्वीकार किया जाऊन फर्निचर प्रषक को लिखा जाकर शा.पठ किया गया, पत्रावली केवल शुभर होकर भन्वर से कम हो।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के रोग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 155/20 प्र. एन

1- श्री लाल मिशन सो. श्री रामभद्र महाजन विवासी - भगवानपुरा तहसील  
-- प्रार्थी

बनाम

1- श्री अशोक सो. श्री रामभद्र महाजन विवासी - भगवानपुरा तहसील (वर्ग 1)  
(संयुक्त विपक्षीय गण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

:: आदेश ::

दिनांक 25-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा.ज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....भगवानपुरा..... पटवार हल्का.....भगवानपुरा..... तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.....प्रहसिकर पि हले 13..... रकबा.....12 बीघा हेक्टर 11..... स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय गण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....31.8.20..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....भगवानपुरा..... पटवार हल्का.....भगवानपुरा..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....प्रहसिकर पि हले 13..... कुल कित्ता.....13..... रकबा.....12 बीघा हेक्टर 11.....

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....भगवानपुरा..... को .....1300/-..... रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड जिलाधिकारी मांडल

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा करा प्रेशसन गाँवों के संग अभियान 2021 जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, जिमा - भीलवाड़ा

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

15/10/21